CNR No.:RJAL010011452024	CIS No.:69/2024

69/24

न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम संख्या-3 अलवर (राज०)

पीठासीन अधिकारी : ज्योति के. सोनी,
आर.जे.एस

फौजदारी निगरानी संख्या : 11/2024

1. कल्पना देवी पुत्री राम सिंह पत्नी पवन कुमार उम्र 42 वर्ष, निवासी 100 फौजी कॉलोनी, अशोक विहार, नजदीक 200 फुट रोड, मन्नाका रोड पुलिस थाना एन.ई.बी.,अलवर(राज०)

.....निगरानीकार

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये लोक अभियोजक, अलवर
2. पवन कुमार पुत्र जयमल सिंह, निवासी ग्राम भाण्डयोर पोस्ट बेरी तहसील व जिला महेन्द्रगढ, हरियाणा
3. बॉबी पुत्री हरचन्दा, निवासी ग्राम घाघोट खण्ड पृथला, जिला-पलवल, हरियाणा
4. कैला पत्नी जयमल सिंह, निवासी ग्राम भाण्डयोर पोस्ट बेरी जिला महेन्दगढ, हरियाणा
5. संतोष पत्नी हरचन्दा ,निवासी ग्राम घाघोट खण्ड पृथला, जिला-पलवल, हरियाणा
6. ममता पत्नी रतन सिंह पुत्री हरचन्दा, निवासी ग्राम घाघोट खण्ड पृथला, जिला-पलवल, हरियाणा

.....गैर निगरानीकार

''फौजदारी निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 17.02.2024 द्वारा न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 अलवर (राज०) परिवाद संख्या 22/45/2023 अनुवान कल्पना बनाम पवन''

उपस्थित :-
श्री राजेश कुमार गुप्ता , अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से
श्री अजीत यादव अपर लोक अभि. रा.राज्य की ओर से
श्री सुनील झालानी, अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या-2 व 4 की ओर से

CNR No.:RJAL010011452024	CIS No.:69/2024

69/24

गैरनिगरानीकार संख्या 3,5,6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं ,

::आ दे श ::

दिनांक : 20.06.2026

1. परिवादिया ने एक परिवाद दिनांक 08.05.2023 को विपक्षी पवन, बॉबी, कैला, संतोष व ममता के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 494, 120 बी, 504, 506, 323 भा0द0सं0 का इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादिया का विवाह दिनांक 12.11.2003 को अभियुक्त संख्या-1 पवन के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए तंग परेशान किया जिसपर परिवादिया ने उसके ससुराल वालों के विरूद्ध एक एफ.आई.आर. नंबर 285/2019 अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भा0द0सं0 में पेश की जिसपर पुलिस ने चालान प्रस्तुत किया और प्रकरण अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-4, अलवर में लंबित है।

2. परिवादिया के भाई ठाकुर सिंह ने फेसबुक पर सपना चौहान जो कि अभियुक्त संख्या-2 की बहन है, उसकी फेसबुक आई.डी. देखी जिसपर उसके पति पवन ने बॉबी पुत्री हरचन्दा के साथ दूसरा विवाह कर लिया। जिसकी फोटो 02.03.2022 को फेसबुक पर डाली उक्त फोटो को परिवादिया ने सेव कर लिया और उसके बाद एक दूसरी फोटो भी दिनांक 05.03.2022 को फेसबुक पर डाली जिसको उन्होंनें सेव कर लिया। इसप्रकार अभियुक्त पवन ने उससे वैध विवाहित होते हुए बिना तलाक दिये बॉबी नामक महिला से दूसरा विवाह कर लिया और अन्य व्यक्तियों ने षडयंत्र करके विवाह करवाया। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही जावे।

3. उक्त परिवाद पर न्यायालय द्वारा पुलिस से जांच रिपोर्ट मंगवायी गयी और परिवादिया के बयान लेखबद्ध किये गये और बहस आदि सुनकर दिनांक 17.02.2024 को परिवादिया का परिवाद खारिज कर दिया गया जिससे व्यथित होकर निगरानी पेश की।

4. निगरानीकार के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिये कि फोटो के संबंध में धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र पेश किया जा सकता था तथा न्यायालय द्वारा जो फोटोग्राफ आदि हैं उसके बाबत उसको नहीं मानने का कोई उचित कारण नहीं दिया है जबकि पुलिस जांच में भी दूसरे विवाह की पुष्टि हुई थी। विचारण न्यायालय द्वारा गलत तरीके से परिवाद खारिज किया गया है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जावे और विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त

किया जावे।

5. इस संबंध में गैरनिगरानीकार के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिये कि पवन द्वारा कोई दूसरा विवाह नहीं किया गया है और फोटोग्राफ को रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है और फोटोग्राफ के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि पवन ने दूसरा विवाह किया है। विचारण न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह पूर्ण रूप से उचित है। अतः विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जावे।

6. बहस उभय पक्ष सुनने, पत्रावली व विधि व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि परिवादिया द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में धारा 498 ए, 406 भा0द0सं0 का मुकदमा दर्ज करवाया गया था जो मुकदमा प्रस्तुत प्रकरण में विचाराधीन है।

7. परिवादिया द्वारा फेसबुक आई.डी. से जो फोटोग्राफ सेव कर रखे हैं , वह पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये हैं। उक्त फोटोग्राफ फर्जी रहे हों, इस संबंध में विचारण न्यायालय ने कोई उचित आधार नहीं दिया है और जहां तक धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र का प्रश्न है तो धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र परिवादिया न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती थी। उसे इस संबंध में निर्देशित किया जा सकता था परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया और केवल मात्र यह कह देने से कि 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र नहीं था, इसलिए उक्त फोटोग्राफ वैध नहीं हैं तो, ऐसा नहीं माना जा सकता। यद्यपि यह तथ्य स्पष्ट रूप से माना जाता है कि केवल फोटोग्राफ के आधार पर किसी व्यक्ति का विवाह होना नहीं माना जा सकता परन्तु किसी व्यक्ति का विवाह करने के बाद उसका यदि प्रमाण पत्र नहीं बनवाया हो तो परिवादिया उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर सकती और उक्त फोटोग्राफ परिवादिया ने ही फर्जी तरीके से बनाये हों ऐसा कोई तर्क विचारण न्यायालय ने नहीं दिया है। इसलिए विचारण न्यायालय ने फोटो के प्रति जो तर्क दिया गया है वह उचित नहीं है।

8. विचारण न्यायालय द्वारा उनके आदेश दिनांक 17.02.2024 में यह तथ्य अंकित किया है कि परिवादिया ने उसके विवाह का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाया है तो प्रस्तुत प्रकरण में परिवादिया व अभियुक्त पवन का विवाह विवादित नहीं है बल्कि प्रस्तुत प्रकरण में पवन व बॉबी

का विवाह हुआ है या नहीं हुआ यह विवादित है। यदि परिवादिया अभियुक्त पवन के साथ वैध रूप से विवाहित नहीं होती तो इस संबंध में धारा 498 ए भा0द0सं0 का जो चालान पुलिस ने पूर्व में पेश किया है वह चालान भी पुलिस के द्वारा पेश नहीं किया जाता। इसलिए यदि परिवादिया ने अपने विवाह का प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है तो यह नहीं माना जा सकता कि परिवादिया पवन से वैध विवाहित नहीं है और इस संबंध में पवन ने भी पूर्व के प्रकरण में व इस प्रकरण में ऐसे कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये थे जिससे यह स्पष्ट हो कि परिवादिया कल्पना पवन की वैध विवाहिता पत्नी नहीं रही हो।

9. विचारण न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह तथ्यों के पूर्ण रूप से विपरीत पारित किया है। अतः विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

10. अतः परिवादिया कल्पना द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी **स्वीकार** की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-4 द्वारा परिवाद संख्या 22/45/2023 अनुवान कल्पना बनाम पवन में पारित आदेश **दिनांक 17.02.2024** अपास्त किया जाकर **पत्रावली पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वह परिवादिया व उसके गवाहों की साक्ष्य पुनः उचित तरीके से लें, पुलिस से इस संबंध में पूर्ण जांच रिपोर्ट मंगवाएं और उसके बाद पुनः आदेश पारित करें ।**

(ज्योति के. सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 3,अलवर

आदेश आज दिनांक 20.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया ।

(ज्योति के. सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 3,अलवर